

डीपीएसई(एन०टी०टी०) प्रशिक्षण 2023 में ऑन लाइन आवेदन हेतु निर्देश
(केवल महिलाओं के लिए)

शासनादेश सं0 240 /अरसठ-4-2021-9(3) /2021 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक 16.07.2021 एवं शासनादेश सं0 3106 / 15-11-2013 दिनांक 08 जनवरी 2014 के क्रम में प्रदेश में डीपीएसई (एन०टी०टी०) प्रशिक्षण 2023 में चयन हेतु उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इस हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को **दिनांक 21.10.2023 से दिनांक 24.11.2023 तक वेबसाइट** <https://entdata.co.in> पर ऑन लाइन पंजीकरण कर आवेदन की समस्त प्रक्रिया **दिनांक 30.11.2023** तक पूर्ण कर सकते हैं। ऑन लाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

- शैक्षिक योग्यता—** दो वर्षीय डीपीएसई (एन०टी०टी०) / (नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग) प्रशिक्षण में चयन हेतु उत्तर प्रदेश के ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी।
- आयु सीमा —** डीपीएसई (एन०टी०टी०) प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी की आयु जिस शैक्षिक सत्र हेतु आवेदन किया जायेगा अर्थात् **01 जुलाई 2023** को **18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।** न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट न होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की सामान्य छूट होगी। विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) की आयु में छूट नियमानुसार “यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गयी सेवा की सम्पूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है और यदि इस प्रकार घटायी गयी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जाता है कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है” देय होगी।
- आरक्षण —** अभ्यर्थियों के चयन में चयन की तिथि को राज्य सरकार द्वारा विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण देय होगा। विशिष्ट आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में उ०प्र० लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित 1997 एवं 1999 (यथासंशोधित) द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही आरक्षण देय होगा।
- प्रशिक्षण संस्थान का नाम —**
एन०सी०टी०इ० से मान्यता के उपरान्त उ०प्र० शासन से डीपीएसई (एन०टी०टी०) प्रशिक्षण हेतु सम्बद्धता प्राप्त निजी संस्थानों एवं आवंटित सीटों की सूची **अपेन्डिक्स-1** में उल्लिखित है –

- 5. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश में चयन का आधार –**
- (i) डीपीएसई (एन०टी०टी०) प्रशिक्षण में चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। मेरिट/गुणांक का आगणन अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित किये गये हाईस्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर किया जायेगा।
 - (ii) जांचोपरान्त अह पाये गये अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर वर्ग/श्रेणीवार औपबन्धिक चयन सूची सम्बन्धित संस्थान को आवंटित सीटों के प्रति निर्गत की जायेगी। औपबन्धिक चयन सूची सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा सम्बन्धित डी०पी०एस०ई०(एन०टी०टी०) निजी संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी।
 - (iii) औपबन्धिक चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सम्बन्धित प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाचार्य द्वारा मूल अभिलेखों, अंकपत्र/प्रमाणपत्र तथा आरक्षण एवं विशेष आरक्षण सम्बन्धी अंकपत्र आदि के मिलान करने तथा पूर्णतया संतुष्ट होने पर प्रशिक्षण हेतु प्रवेश दिया जायेगा।
 - (iv) चयन हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि (कट ऑफ डेट) के बाद किसी भी कारण से रिक्त रह गयी/रिक्त हो गयी सीटों के प्रति चयन की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
 - (v) निजी प्रशिक्षण संस्थान में कुल आवंटित सभी सीट फ्री सीट होगी। संस्थान हेतु कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थियों को शुल्क शासनादेश सं० 1441 / 15–11–2014 दिनांक 10.09.2014 के अनुसार ₹० 41000 (इकतालिस हजार) प्रतिवर्ष प्रतिछात्र देय होगा। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
- 6. आवेदन शुल्क— डीपीएसई (एन०टी०टी०) प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को शुल्क के रूप में ₹० 200 तथा अन्य अभ्यर्थियों को ₹० 400 (**अभ्यर्थी द्वारा इंटरनेट बैंकिंग/ए०टी०ए० कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से**) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में जमा करना होगा। धनराशि जमा करने के बाद ई-चालान की प्रति अभ्यर्थी को अपने पास सुरक्षित रखनी होगी। अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। विकलांग जन से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।**
- 7. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश –**
- i. ऑन लाइन आवदेन पत्र का प्रारूप आवेदन हेतु निर्देश तथा ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने की तकनीकी एवं परिचालन सम्बन्धी निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। ऑन लाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा अपेक्षित विवरण पूर्ण सावधानी के साथ भरा जाये तथा अभ्यर्थी द्वारा समस्त प्रविष्टियों को भली प्रकार चेक कर लिया जाये। ऑन लाइन आवेदन पत्र सबमिट करने से पूर्व भरी हुई समस्त प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक जांच लिया जाये। एक बार सबमिट करने के उपरान्त प्रविष्टियों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, अपूर्ण तथा अधूरे आवेदन मान्य नहीं होंगे।
 - ii. ऑन लाइन आवदेन पत्र में प्रविष्टियाँ अभ्यर्थियों द्वारा पूर्ण सावधानी के साथ भरी जानी चाहिए, क्योंकि यही चयन का आधार है। ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन के समय भरे

गए विवरण का प्रिंट आउट, ई-चालान का प्रिंट आउट (विकलांग अभ्यर्थियों को छोड़कर) तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। ऑन लाइन आवेदन की प्रविष्टियों में सुधार अथवा परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

- iii. यदि किसी अभ्यर्थी की अंकतालिका में प्राप्तांक/पूर्णांक के स्थान पर ग्रेड प्वाइंट का उल्लेख हो तो ऐसे अभ्यर्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय से ग्रेड प्वाइंट के प्रतिशत में कनवर्जन का फार्मूला ज्ञात करके तदनुसार प्रतिशत निकाल लें तथा प्रतिशत को अंकों में परिवर्तित कर पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख करें। पूर्णांक एवं प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत वही आना चाहिए, जो ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में कनवर्जन करने पर आता है। ऐसे अभ्यर्थियों को कुल सचिव/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड प्वाइंट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत तथा ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र (फार्मूला) मूल प्रमाण पत्रों के जांच (काउंसिलिंग) के समय साथ लाना होगा।
- iv. अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाइन आवेदन में भरा गया विवरण ही चयन का आधार है। आवेदन पत्र में भरे गये विवरण से सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित स्पष्ट पठनीय छायाप्रतियाँ जांच के समय अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होंगी। ऑन लाइन आवेदन की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद के निर्गत शैक्षिक अंकपत्र तथा आरक्षण/विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। मूल अभिलेखों की जांच के समय आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियों से इतर सूचनाओं वाले प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- v. अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो भी सूचनायें अंकित की जायेंगी/विभिन्न परीक्षाओं के जो अंक उल्लिखित किये जायेंगे/जिस श्रेणी के आरक्षण/विशेष आरक्षण का दावा किया गया होगा, उन्हीं का लाभ अभ्यर्थी को चयन में दिया जायेगा। आवेदन पत्र में भरी गयी सूचना से भिन्न सूचना को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- vi. अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में यह घोषणा (Undertaking)की जायेगी कि यदि उसके द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण/असाय है तो न केवल उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा, अपितु उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा यह भी घोषणा की जायेगी कि आवेदन करने की तिथि को उसके पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंकपत्र/प्रमाण पत्र/आरक्षण एवं विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध है। आवेदन करने की अन्तिम तिथि के बाद निर्गत तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न अंकपत्र/प्रमाण पत्र से भिन्न कोई भी अंकपत्र/प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- vii. प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थियों को सम्बन्धित संस्थान में ₹0 10 के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अपने रंगीन फोटो सहित नोटरी से प्रमाणित इस आशय का शपथपत्र अनिवार्य रूप से देना होगा कि वह वास्तव में उत्तर प्रदेश के जनपद का निवासी है, उसके पास आवेदन पत्र और जांच प्रपत्र में भरा गया विवरण सत्य है, चयन/प्रशिक्षण/प्रशिक्षणोपरान्त किसी भी स्तर पर कोई सूचना गलत पाये

जाने अथवा फर्जी पाये जाने अथवा चयन त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

- viii. जांच के समय अभ्यर्थी को अपनी पहचान (Identity) के प्रमाण के रूप में मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट, बैंक की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त राशन कार्ड, आधारकार्ड में से उसी एक को प्रस्तुत करना होगा, जिसका अंकन उसने अपने आवेदन पत्र में किया है। फोटो आईडी प्रूफ से उसके आवेदन पत्र में चर्चा फोटो का मिलान किया जायेगा।
7. **अभिलेखों का सत्यापन-** सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के एक माह के अन्दर चयनित एवं प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन अभिलेखों का निर्गमन करने वाली संस्थाओं से कराया जायेगा। चयन/जांच/प्रवेश/प्रशिक्षण आदि किसी भी स्तर पर अभिलेखों में विसंगति पाये जाने पर चयनित/प्रशिक्षित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये विधिक कार्यवाही की जायेगी।

अपेन्डिक्स-1

डी०पी०एस०ई० (एन०टी०टी०) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सम्बद्धता प्राप्त निजी संस्थानों की सूची

क्रं०	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	आवंटित सीट
01	महर्षि मूलचन्द यादव शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, केराकत, जौनपुर	50
02	मोहनी बी० मनवाड़ी गल्लर्स डिग्री कालेज, आवास विकास -3, पनकी कल्याणपुर रोड, कानपुर नगर	50
03	दयावंती पुंज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सीतामढ़ी, संतरविदासनगर, भदोही	50
04	भागवन्ती एजूकेशन सेन्टर डिग्री कालेज, प्लाट/खसरा नं०-130ए, 130बी, ग्राम-सण्डीला, पोस्ट-मन्धना, जनपद-कानपुर नगर	50
05	भूरे सिंह कालेज आफ एजूकेशन, प्लाट नं०- 764, ग्राम- पडीन, पो०- औरैया, जनपद- औरैया	50
06	एस०डी० इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजूकेशन, प्लाट न.- 494, ग्राम- कायस्थ गावड़ी, तहसील- मोउद्दीनपुर, जिला-मेरठ	100
07	महर्षि दयानन्द एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, प्लाट न.- 126 / 2,127 / 2, 416 / 2,127 / 1, ग्राम/पी.ओ.- शोल्दा, तहसील-मवाना, जिला- मेरठ	100
08	दयानन्द विद्यापीठ एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, प्लाट न० 127 / 1 सोलदा गढ़ रोड मेरठ	100
09	सविता देवी इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, प्लाट न०- 494, ग्राम- कायस्थ गावड़ी, पी.ओ.- मोहिउद्दीनपुर, जिला/तहसील- मेरठ	100
10	श्री गुरु हरगोविन्द साहिबजी मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजूकेशन, प्लाट न० 13 / 1, 13 / 3,2 ग्राम जुल्हैडा, मेरठ	50
11	जाकिर हुसैन कालेज ऑफ हॉयर एजूकेशन, मुल्डेडा, सरधना रोड मेरठ	100
12	दिल्ली कालेज ऑफ हायर एजूकेशन, सालारपुर, मेरठ	50
13	मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर एजूकेशन, नंगली ईशा, मेरठ	100
14	दयावंती कॉलेज ऑफ एजूकेशन, शौल्दा गढ़ रोड मेरठ	100

15	एन०सी०आर० कॉलेज ऑफ हॉयर एजूकेशन, सालारपुर, मवाना मेरठ	50
16	सत्या शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, आगरा	50
17	पंचशील टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, प्लॉट नं० 77मि०, ग्राम मवई कलां, पोस्ट हलिया, जनपद मिर्जापुर (एन०टी०टी० पाठ्यक्रम हेतु)	100
18	आर०एच०एम० कॉलेज ऑफ हॉयर एजूकेशन, प्लाट नं० 1055, 761 ग्राम व पोस्ट सिरसखेड़ा ब्लाक मून्ढापान्डे, मुरादाबाद	50
19	ए०एस०के० इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, प्लाट नं० 180, बुढ़नपुर पटाई, अमरोहा (जे०पी०नगर)	50
20	बी०एम० विद्यापीठ, आगरा	50